

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प. 22(1)न्याय/22

जयपुर, दिनांक 27-09-2023

::आज्ञा::

राजस्थान विधि (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा के निम्नलिखित अधिकारी को अग्रिम आदेशों तक कार्यव्यवस्था की दृष्टि से प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित आवंटित विभाग में कार्य करने हेतु तुरन्त प्रभाव से एतद्वारा निर्देशित किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम (सर्व श्री)	वर्तमान पदस्थापन	कार्यव्यवस्था हेतु आवंटित विभाग
1.	श्री पवन कुमार	वरिष्ठ विधि अधिकारी निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर	वरिष्ठ विधि अधिकारी कार्यालय आयुक्त उपनिवेशन विभाग, बीकानेर

श्री पवन कुमार के वेतन भत्ते इत्यादि का भुगतान वरिष्ठ विधि अधिकारी, निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पद से अग्रिम आदेशों तक आहरित किये जावेंगे।

आज्ञा से


(आशुतोष कुमावत)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
3. उपरोक्त संबंधित अधिकारी को प्रेषित कर लेख है कि वे कार्यव्यवस्था हेतु आवंटित स्थान पर कार्यग्रहण करें अन्यथा इसे गम्भीरता से लिया जाकर आपके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जावेगी जिसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। कार्यग्रहण कर कार्यग्रहण रिपोर्ट भी इस विभाग को अविलम्ब भिजवायें।
4. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. संबंधित विभाग/रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव